A2
3

65/16

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 65/2015
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

रमेश आयु 30 वर्ष आत्मज श्री कालासिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदक

बनाम

1. गुरदयालसिंह एवं
2. गुरदीपसिंह आत्मजन श्री करतारसिंह, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ (आवेदक)
श्री दुल्लासिंह (अनावेदक–1 व 2)

दिनांक 6 सितम्बर, 2016

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 82 के 25.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 8 के 10.05 बीघा कुल 35.05 बीघा कृषि भूमि सरदारसिंह आत्मज श्री बूड़सिंह, रायसिख के नाम खातेदारी थी जो वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3/2, 4 से 7, किला नम्बर 14 से 18, किला नम्बर 23 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. उल्लेखित समस्त कृषि भूमि का श्री सरदारसिंह एकल सवामी था तथा उल्लेखित कृषि भूमि की बाबत वसीयत करने का अधिकारी हेने के कारण उनके द्वारा वसीयत दिनांक 20 मई, 1986 द्वारा अपने चारों पुत्र क्रमशः दिलावरसिंह, करतारसिंह, सजवारसिंह एवं गजनसिंह आत्मजन श्री सरदारसिंह चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर निष्पादित की गयी जिसके अनुसार उनकी मृत्योपरान्त उल्लेखित कृषि भूमि चारों भाईयों को बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त होगी. श्री सरदारसिंह की दिनांक 16 जून, 1992 को मृत्योपरान्त उललेखित कृषि भूमि वसीयतनामा के अनुसार चारों भाईयों में निहित हो चुकी है. जिस पर श्री करतारसिंह ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि काश्त के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर कब्जा के अनुसार किला नम्बर 4(0.190), किला नम्बर 5(0.253), किला नम्बर 7(0.063) कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि अपने पोते अर्थात आवेदक के नाम पर दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा उपहार की गयी. श्री सरदारसिंह की मृत्योपरान्त श्री करतारसिंह की मृत्यु दिनांक 11 अक्तूबर, 2015 के पश्चात श्री करतारसिंह द्वारा उपहार में दी गयी कृषि भूमि का आवेदक खातेदार दर्ज किया जाना अपेक्षित है. श्री सरदारसिंह की मृत्योपरान्त उसकी वसीयत के अनुसार उल्लेखित कृषि भूमि की बाबत राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

65/16

A2
4

इसलिये आवेदक के पास घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है. इस प्रकार आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरूद्व चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर कब्जा के अनुसार किला नम्बर 4(0.190), किला नम्बर 5(0.253), किला नम्बर 7(0.063) कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत मूल वाद के निस्तारण तक, स्वयं अथवा सिी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, पंजीबद्व दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 20 मई, 1986, अपंजीबद्व दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2014, श्री सरदारसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 18 जून, 1992 एवं श्री करतारसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र दिनांक 4 अगस्त, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्री सरदारसिंह की मृत्योपरान्त उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 20 मई, 1986 तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है. श्री करतारसिंह द्वारा निष्पादित दस्तावेज उपहारपत्र निांक 15 जुलाई, 2014 कानून व नियमों के विरूद्व है क्योंकि जब तक करतारसिंह के नाम से विरासतन हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो जाता तब तक श्री करतारसिंह अपने हिस्सा को उपहार में नहीं दे सकता था. प्रस्तुत उपहारपत्र उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन नहीं होने पर भी शून्य है. श्री सरदारसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत का नामान्तरकरण नहीं होने के परिणामताः श्री करतारसिंह द्वारा तथाकथित निष्पादित उपहारपत्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है. आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 व 2 उक्त भूमि की अपने अपने हिस्सा के अनुसार पानी की बारी लगा रहे हैं तथा हिस्सा के मुताबिक ही लगान का भुगतान कर रहे हैं. अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा किसी भी प्रकार से आवेदक को परेशान नहीं किया जा रहा व न ही विधि विरूद्व कब्जा लेने का ही प्रयास किया जा रहा है. आवेदक प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी धोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्ता आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करतें हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत श्री सरदारसिंह आत्मज श्री बूड़सिंह द्वारा निष्पादित पंजीबद्व दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 20 मई, 1996 के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 82 के 25.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 8 के 10.05 बीघा कुल 35.05 बीघा कृषि भूमि में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

65/16

A2
S

श्री करतारसिंह ¼ हिस्सा कृषि भूमि का हकदार है जिसमें से श्री करतारसिंह द्वारा निष्पादित अपंजीबद्व दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर कब्जा के अनुसार किला नम्बर 4(0.190), किला नम्बर 5(0.253), किला नम्बर 7(0.063) कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि आवेदक को उपहार में दी गयी है. जिस पर आवेदक के कब्जा काश्त को अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदनपत्र में कोई विरोध नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में सिद्व होता है.

अतः आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर कब्जा के अनुसार किला नम्बर 4(0.190), किला नम्बर 5(0.253), किला नम्बर 7(0.063) कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदक के कब्जा में स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 06 सितम्बर, 2016 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.